

अध्याय 1

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किए गए हैं। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी के अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में एक सरकारी कम्पनी* की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो इस प्रकार से परिभाषित कम्पनी की सहायक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियाँ भी इस प्रतिवेदन में मानी गई सरकारी कम्पनियों के रूप में संदर्भित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संसद के विशेष नियमों के अधीन निगमों की स्थापना करती है जिन्हें सांविधिक निगमों के रूप में संदर्भित किया गया है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

* लोक उद्यम विभाग (डीपीई) उन सीपीएसईज को कम्पनी के रूप में मानता है जिसमें केन्द्र सरकार के पास 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी या उसकी धारण कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व रखती है। सीएजी और डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अन्तर के दृष्टिगत, सीएजी और डीपीई द्वारा सीपीएसईज के रूप में मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति करता है और अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के अतिरिक्त वे निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखापरीक्षा की जाती है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन निगमों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2013-14 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता तथा कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके निष्पादन के मूल्यांकन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2013-14 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई केन्द्र सरकारी कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, तथा सीपीएसईज़ की वित्तीय विवरणियों का प्रमाणीकरण करते समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों की वित्तीय विवरणियों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा उन्हें जारी निर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का सार भी दिया गया है।

प्रतिवेदन में कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन की समग्र स्थिति का भी वर्णन किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज़ और मानी गई सरकारी कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2014 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 544 सीपीएसईज थी। इनमें 377 सरकारी कम्पनियां, 6 सांविधिक निगम और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल थीं। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

• सरकारी कम्पनियां	377
• मानी गई सरकारी कम्पनियां	161
• सांविधिक निगम	6
• कुल सीपीएसईज	544

सीपीएसई का स्पर्श	सीपीएसईज की कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या			जोड़	प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज की संख्या
		नवीनतम आंकड़े 2013-14	पहले के आंकड़े 2012-13	2011-12		
सरकारी कम्पनियां	377	330	13	4	347	30
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	-
कुल कम्पनियां/निगम	383	335	14	4	353	30
मानी गई सरकारी कम्पनियां	161	138	5	1	144	17
जोड़	544	473	19	5	497	47

नई/बन्द सरकारी कम्पनियाँ/मानी गई सरकारी कम्पनियाँ के विवरण परिशिष्ट I में दिए गए हैं।

तथापि, इस प्रतिवेदन में 47 सीपीएसईज (17 मानी गई सरकारी कम्पनियाँ सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन कम्पनियों को दो सितारों (**) के द्वारा परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

सीपीएसईज का आशुचित्र (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

सीपीएसईज की संख्या	383
इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज	353
प्रदत्त पूँजी (353 सीपीएसईज)	₹ 3,30,626 करोड़
दीर्घकालिन कर्ज (353 सीपीएसईज)	₹ 8,81,774 करोड़
बाजार पूँजीकरण (46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ)	₹ 11,06,657 करोड़
निवल लाभ (202 सीपीएसईज)	₹ 1,53,907 करोड़
निवल हानि (124 सीपीएसईज)	₹ 49,612 करोड़
घोषित लाभांश (111 सीपीएसईज)	₹ 66,051 करोड़
कुल परिसम्पत्तियाँ (353 सीपीएसईज)	₹ 34,94,654 करोड़
उत्पादन का मूल्य (353 सीपीएसईज)	₹ 14,13,922 करोड़
कुल मूल्य (353 सीपीएसईज)	₹ 11,60,694 करोड़

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2014 के अंत में 353* सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज़ की सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज़ में निवेश किया था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

स्रोत	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़	जोड़	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़	जोड़
1.केन्द्रीय सरकार	2,45,191	54,907	3,00,098	2,31,289	50,816	2,82,105
2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम	44,245	17,409	61,654	27,082	23,818	50,900
3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम	20,926	7,776	28,702	18,491	5,753	24,244
4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य	20,264	8,01,682	8,21,946	18,489	6,42,109	6,60,598
जोड़	3,30,626	8,81,774	12,12,400	2,95,351	7,22,496	10,17,847
कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता	74.16	6.23	24.75	78.31	7.03	27.72


टिप्पणी: मंत्रालय द्वारा इक्विटी तथा दिये गये कर्जों के विवरण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

1.2.1 इक्विटी निवेश

2013-14 के दौरान, इन 353 सीपीएसईज़ के इक्विटी में निवेश में ₹ 35,275 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार का निवेश 353 सीपीएसईज़ के इक्विटी में 2013-14 में ₹ 13,902 करोड़ से बढ़ गया।

* 383 सीपीएसईज़- 30 सीपीएसईज़ जिनके लेखे बकाया थे

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश



(* पिछले वर्षों के आकड़े 2013-14 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

सीपीएसईज की प्रदत्त पूँजी में 2013-14 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सीपीएसईज का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम		
नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी आफ इण्डिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	12,063
सरकारी कम्पनियां		
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	रेलवे	1,000
अन्य		839
जोड़		13,902

वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित सीपीएसईज ने पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर जारी किए जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	64.99
2	वाप्कोस लिमिटेड	8.00
3	बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	12.21
4	नेशनल सीइस कार्पोरेशन लिमिटेड	2.06
जोड़		87.26

2015 की प्रतिवेदन संख्या 2

- ❖ वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 40,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 15,819[†] करोड़ की उगाही की। 15,819 करोड़ में से 12,819 करोड़ की राशि निम्नलिखित सीपीएसईज के संबंध में इसे इक्विटी हिस्से के भाग की बिक्री से और 3000 करोड़ नव निर्मित सीपीएसई-इटीएफ योजना[‡] से थी।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों का अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	10	251.19	5341
2	एनएचपीसी लिमिटेड	9	1107.16	2131
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	5	22.82	1887
4	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	185.18	1637
5	एमएमटीसी लिमिटेड	9	9.33	572
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	11	18.58	497
7	नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	4	59.70	358
8	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड	4	18.56	260
9	नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	8	37.48	101
10	इंडिया टयुरिज्म डेवलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	5	4.36	30
11	दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.61	5
जोड़				12819

वर्ष 2013-14 के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड ने मॉजूदा शेयरधारकों से कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के 10 प्रतिशत को वापस लिया है इसलिए इसके कुल प्रदत्त शेयर पूँजी में कमी आई है। वापसी खरीद के कारण भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि ₹ 2,131 करोड़ थी।

इसके अतिरिक्त ₹ 619.57 करोड़ अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

[†] स्रोत: <http://www.nic.in/SummarySale.asp>


[‡] सीपीएसई-इटीएफ वह विनिवेश रणनीति है जिसके द्वारा सरकार ने ₹ 3000 करोड़, 10 पीएसयूज में विनिवेश कर उगाहे और यह ओएनजीसी, गेल, कोल इंडिया, आईओसी, ऑयल इंडिया, विद्युत वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कंटेनर कार्पोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आंशिक स्वामी बनने के लिए निवेशकों को अवसर देती है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	606.97
2	मेकॉन लिमिटेड	12.60
	जोड़	619.57

1.2.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए कर्ज

2013-14 के दौरान सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालीन कर्जों ने ₹ 1,59,278 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की।

सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए बकाया दीर्घकालीन कर्ज
(₹ करोड़ में)



(* पिछले वर्षों के आकड़े 2013-14 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उन वर्षों के लेखे प्राप्त हुए थे)

- ❖ 31 मार्च 2014 को सभी स्त्रोतों से 353 सीपीएसईज में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्ज ₹ 8,81,774 करोड़ के थे। 2013-14 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्जों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

2015 की प्रतिवेदन संख्या 2

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीए सई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्प त्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्प त्तियां की प्रतिशत ता	सीपीए सई की संख्या	दीर्घाव धि कर्ज़	परिसम्प त्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्प त्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	3	46677	212130	454.46	-	-	-	-
सूचीबद्ध कम्पनियां	30	536762	1529726	284.99	2	3765	328	8.71
असूचीबद्धक म्पनियां	99	281148	763338	271.51	19	13422	1633	12.17
कुल	132	864587	2505194		21	17187	1961	

2 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित 21 सीपीएसईज़ के उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वही 201 सीपीएसई (3 सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था।

- ❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। 1 से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का सार नीचे दिया गया है:


वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई [‡] की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसईज़ की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसईज़ की सं.
	(₹ करोड़ में)				
सांविधिक निगम					
2011-12	6143	6586	4	4	0
2012-13	1548	3361	3	2	1
2013-14	2188	2530	3	2	1
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2011-12	33285	98910	34	26	6
2012-13	39986	110679	32	20	12
2013-14	43904	127865	32	22	10
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2011-12	15483	29742	123	66	57
2012-13	16526	48197	120	52	68
2013-14	17611	31521	118	57	61

यह देखा गया था कि सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान बढ़ गई थी।

1.2.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूँजी 144 मानी गई सरकारी कम्पनियों[§] में निम्न प्रकार से थी।

मानी गई सरकारी कम्पनियां में शेयर पूँजी की संरचना



[§] उन सीपीएसईज़ को छोड़कर जिनकी ब्याज पर कोई देयता नहीं है।

[†] टिप्पणी: सीपीएसज़ के विवरण सीएजी वेबसाइट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं

31 मार्च 2014 को इन मानी गई सरकारी कम्पनियों में इक्विटी ₹ 27,057 करोड़ थी। इन मानी गई कम्पनियों में इक्विटी ₹ 1,214 करोड़ तक बढ़ गई अर्थात् 2012-13 में ₹ 25,843 करोड़ से बढ़ कर 2013-14 में ₹ 27,057 करोड़ हो गई।

1.2.4 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण

बाजार पूँजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाजार मूल्य के आकार का माप है। 59 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियां और 8[†] मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल हैं।

- ❖ 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2013-14 के दौरान 42 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग[‡] हुई थी। सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियों के संबंध में वर्ष के दौरान 4 में ट्रेडिंग हुई थी और एक कम्पनी[§] के शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।
- ❖ 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2014 तक ₹ 11,06,657 करोड़ थी। 31 मार्च 2014 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 10,96,426 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 7,97,348 करोड़ तक था। शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2014 तक ₹ 9,196 करोड़ (0.83 प्रतिशत) तक घट गया था। विवरण परिशिष्ट III-क में दर्शाए गए हैं। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेंसेक्स 18,835.77 (31 मार्च 2013 को) से बढ़कर 22,386.27 (31 मार्च 2014) हो गया, जो 18.85 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। तथापि, सीपीएसई इंडेक्स 6,418.16 (31 मार्च 2013 को) से घटकर 6,354.61 (31 मार्च 2014 को) हो गया जो 1.95 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- ❖ 31 मार्च 2014 तक 4 सरकारी सहायक कम्पनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिन शेयरों की ट्रेडिंग 2013-14 के दौरान हुई थी, ₹ 10,231 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2014 तक सरकारी कम्पनियों द्वारा 4 सरकारी सहायक कम्पनियों में धारित शेयरों

[†] (1) इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (4) दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, (5) उडीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, (7) टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और (8) आईएफसीआई लिमिटेड

[‡] 2013-14 के दौरान (1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (4) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

[§] ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

का कुल बाजार मूल्य घट कर ₹ 803 करोड़ तक हो गया था। विवरण परिशिष्ट III-ख में दर्शाया गया है।

- ❖ 31 मार्च 2014 को अधिकतम बाजार पूँजीकरण वाली 10 टॉप पीएसईज़ नीचे दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	पीएसई का नाम	बाजार पूँजीकरण (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	272663
2	कोल इण्डिया लिमिटेड	181848
3	एनटीपीसी लिमिटेड	98904
4	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	67740
5	एनएमटीसी लिमिटेड	55288
6	पावर ग्रिड कारपोरेशन ॲफ इंडिया लिमिटेड	54958
7	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	48169
8	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	47663
9	भारत पैट्रालियम कारपोरेशन लिमिटेड	33284
10	स्टील अथॉरिटी ॲफ इंडिया लिमिटेड	29492

24 सीपीएसईज़ में बाजार पूँजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य 18 सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाजार पूँजीकरण में महत्वपूर्ण कमी वाले सीपीएसईज़ नीचे दिये गये हैं:


(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पीएसई का नाम	31.3.2012 को बाजार पूँजीकरण	31.3.2013 को बाजार पूँजीकरण	अंतर
1	एनटीपीसी लिमिटेड	117086	98904	18182
2	एमएमटीसी लिमिटेड	19925	5310	14615
3	कोल इण्डिया लिमिटेड	195270	181848	13422
4	इंडिया ट्रॉरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	5275	826	4449
5	एनएचपीसी लिमिटेड	24478	21145	3333
6	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	8577	6347	2230
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	30733	28975	1758
8	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2186	1182	1004
9	नेयवली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	11056	10259	797
10	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	68335	67740	595

1.3. सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

लाभ कमाने वाली सीपीएसईज** की संख्या 2012-13 में 182 (₹ 1,48,105 करोड़) से बढ़ कर 2013-14 में 202 (₹ 1,53,907 करोड़) हो गई।

लाभ कमाने वाले सांविधिक निगमों, सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों की संख्या



क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसईज की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	42866	27.85
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	3	3879	2.52
जोड़	10	46745	30.37
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	16510	10.73
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	15003	9.75
जोड़	9	31513	20.48

** ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति[#], निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 353 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	17566	11.41
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	18	4545	2.95
जोड़	22	22111	14.37
जोड़ (1) से (3)	41	100369	65.22

2012-13 के दौरान 37 सीपीएसईज द्वारा 62 प्रतिशत योगदान की तुलना में इन योगदान तीन क्षेत्रों में 41 सीपीएसईज द्वारा 2013-14 के दौरान 65 प्रतिशत (₹ 1,00,369 करोड़) किया गया था।

निम्नलिखित सीपीएसईज की सूची है जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	22095
2	कोल इंडिया लिमिटेड	15009
3	एनटीपीसी लिमिटेड	10975
4	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	7019
5	एनएमडीसी लिमिटेड	6420
6	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	5418
जोड़		66936


यह देखा जा सकता है कि इन सीपीएसईज ने 2012-13 के दौरान कुल अर्जित लाभ के 40 प्रतिशत की तुलना में 202 सीपीएसईज द्वारा कुल अर्जित लाभ का 43 प्रतिशत का योगदान किया।

1.3.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभांश भुगतान

31 मार्च 2014 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली सीपीएसई^{††} की संख्या परिशिष्ट IV में दी गई है। 2013-14 में लाभांश की घोषणा करने वाले 111 सीपीएसईज (2 सांविधिक निगमों तथा 34 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) थे। इन सीपीएसईज द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2012-13 में 39.12 प्रतिशत से बढ़ कर 2013-14 में 48.70 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, सीपीएसईज द्वारा 2013-14 में घोषित लाभांश 2012-13 में ₹ 50,683 करोड़ से ₹ 15,368 करोड़ तक बढ़कर 2013-14 में ₹ 66,051 करोड़ हो गया।

^{††} केवल सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम

निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश



अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	सीपीएसई घोषित लाभांश			
	सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्त पूँजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	896	180
सूचीबद्ध कंपनियां	34	57636	104662	48938
असूचीबद्ध कंपनियां	75	39944	30069	16933
कुल	111	98305	135627	66051

चालू वर्ष में 111 सीपीएसईज़ द्वारा घोषित ₹ 66,051 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 41,842 करोड़ था। 2012-13 के दौरान 14.55 प्रतिशत की तुलना में, 2013-14 में 353 सीपीएसईज़ की इक्विटी पूँजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,45,191 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 17.06 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 28 सीपीएसईज़ ने अन्य सीपीएसईज़ की इक्विटी में ₹ 4,839 करोड़ की दी गई पूँजी पर लाभांश के रूप में ₹ 14,138 करोड़ प्राप्त किए।

- ❖ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 14,997 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2013-14 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 66,051 करोड़ के कुल लाभांश का 22.70 प्रतिशत था।
- ❖ सितम्बर 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी सीपीएसईज़, या तो इक्विटी पर या कर-पश्चात लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20

प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पैट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 19कम्पनियाँ (3 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) जिन्होंने लाभांश घोषित किया था ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया, जैसा कि परिशिष्ट V में दिया गया है। इस के कारण 2013-14 में कुल कमी ₹ 2,555 करोड़ थी।

- ❖ मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि सरकार का उद्देश्य समूचे बोर्ड में सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों में समग्र निवेश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त करना था। सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,45,191 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल ₹ 41,842 करोड़ अर्थात् 17.06 प्रतिशत था।

1.3.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल

144^{‡‡} मानी गई सरकारी कम्पनियों में से, 99 कम्पनियों ने ₹ 4,608 करोड़ का लाभ कमाया। इन 99 कम्पनियों में से, 43 ने ₹ 843 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 6,726 करोड़ की कुल प्रदत्त पूँजी का 12.53 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान ₹ 1310 करोड़ की 39 कंपनियों को हानि की तुलना में 2013-14 के दौरान 38 कंपनियों को ₹ 2,330 करोड़ की हानि हुई।

2013-14 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से 43 मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 843 करोड़ का लाभांश आया जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूँजी	निवल लाभ	लाभांश	(₹ करोड़ में)
वित्तीय सेवाएं	26	3729	1735	595	
बीमा	1	1000	740	100	
विद्युत	2	1229	261	92	
परिवहन सेवाएं	1	164	30	20	
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	2	446	226	20	
व्यापार एवं विपणन	1	41	18	6	
पैट्रोलियम	1	100	45	5	
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	8	16	18	4	
खनिज एवं धातु	1	1	6	1	
	43	6726	3079	843	

^{‡‡} 161–17 मानी गई कंपनियाँ जिनका खाते बकाया में थे।

1.4 घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़

124 सीपीएसईज़ थीं जिनकों 2013-14 के दौरान घाटा हुआ। इन सीपीएसईज़ द्वारा उठाये गये घाटे में 2012-13 के दौरान ₹ 29,184 करोड़ से 2013-14 में ₹ 49,612 करोड़ तक काफी वृद्धि हुई जिसका नीचे तालिका में विवरण दिया गया है।

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	घाटे वाली सीपीएसईज़* की संख्या	वर्ष का निवल घाटा	संचित घाटा	निवल सम्पत्ति	
		(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम					
2011-12	1	858	0	15414	
2012-13	0	0	0	0	
2013-14	1	995	0	14863	
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2011-12	8	7089	15503	-2598	
2012-13	14	11652	22375	4855	
2013-14	10	4574	21245	-5606	
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ/निगम					
2011-12	88	23181	64273	70732	
2012-13	110	17532	65405	53254	
2013-14	113	44043	91854	31041	
जोड़					
2011-12	97	31128	79776	83548	
2012-13	124	29184	87780	58109	
2013-14	124	49612	113099	40298	

निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने वर्ष 2013-14^{हैरान} के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का घाटा वहन किया।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2013-14 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	छत्तीसगढ़ पूर्वी रेल लिमिटेड	14181
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड	13458
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	7020

* फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरबेर्ज आर्थोरिटी ऑफ इंडिया तथा नेशनल हाइवेर्ज अर्थोरिटी ऑफ इंडिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है, इस तालिका में शामिल नहीं हैं।

†† एयर इंडिया का खाता बकाया में है। 2012-13 के दौरान एयर इंडिया द्वारा उठाई गई हानि ₹ 5490.16 करोड़ थी। वर्ष 2013-14 के लिए अनंतिम हानि ₹ 6280 करोड़ थी।

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूँजी क्षरण

31 मार्च 2014 तक 150 सीपीएसईज़ थे जिनका संचित घाटा ₹ 1,27,020 करोड़ था। वर्ष 2013-14 के दौरान 150 सीपीएसईज़ में से 102 सीपीएसईज़ ने ₹ 39,798 करोड़ का घाटा उठाया तथा 48 सीपीएसईज़ ने वर्तमान वर्ष 2013-14 में घाटा नहीं उठाया तथापि ₹ 13,921 करोड़ का घाटा संचित था।

67 सरकारी कम्पनियों (150 में से) की निवल सम्पत्ति संचित घाटे द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 67 कंपनियों में निवल संपत्ति 31 मार्च 2014 को ₹ 27,957 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 87,885 करोड़ थी। इसमें 6 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 1,792 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 19,821 करोड़ थी। 67 कंपनियों जिनकी पूँजी क्षरित हुई थी, में से केवल 9 सीपीएसईज़ ने 2013-14 के दौरान ₹ 1,399 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।


67 सीपीएसईज़ में से 31 जिनकी पूँजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2014 को ₹ 16,331 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,821 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली 4 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

संभावित रूगणता दर्शाते हुए 286 सीपीएसईज़ जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 19 सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति 31 मार्च 2014 के अंत में उनकी प्रदत्त पूँजी ₹ 12,037 करोड़ के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्परियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुल परिसम्पत्ति तथा लगाई गई पूँजी के प्रति उत्पादन के मूल्य को दर्शाने वाला सार ग्राफ नीचे दिया गया है:



2015 की प्रतिवेदन संख्या 2

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति और नियोजित पूँजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2013-14 के दौरान 353 सीपीएसईज़ की कुल बिक्री ₹ 19,54,117 करोड़ थी। इनमें से 113 सीपीएसईज़ ने सरकारी विभागों को उनकी ₹ 9,76,602 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,32,954 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को उनकी कुल निवल बिक्री के संदर्भ में इन सीपीएसईज़ की बिक्री की समग्र प्रतिशतता 23.85 प्रतिशत परिकल्पित की गई।

61 सीपीएसईज़ ने ₹ 1,03,070 करोड़ का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 8,74,786 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 11.78 प्रतिशत परिकल्पित किया गया। 353 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 19,54,117 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 5.27 प्रतिशत थी। ₹ 1,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज़ निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	35392
2	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21192
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	14063
4	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	9980
5	एमएमटीसी लिमिटेड	4209
6	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	3719
7	पीईसी लिमिटेड	2556
8	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2135
9	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1781
10	एनएमडीसी लिमिटेड	1631
11	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1527
12	एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड	1018
कुल		99203

इन 12 सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 96 प्रतिशत है।

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्य करने पड़ते हैं। 2013-14 के दौरान, 58 सीपीएसईज ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 3,652 करोड़ लगाए। निम्नलिखित सीपीएसईज ने ₹ 100 करोड़ से अधिक का आर एंड डी व्यय किया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ के प्रति आरएंडडी व्यय की प्रतिशतता
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	1083	2693	40
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	601	22095	3
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	467	932	50
4	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	311	3473	9
5	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	253	7019	4
6	एनटीपीसी लिमिटेड	134	10975	1
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	110	2616	4
8	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	101	1734	6